रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 26, 1976/आषाढ़ 5, 1898
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 26, 1976/ASADHA 5, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग 2—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1976

का० नि० आ० 163.—यत उससे उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति का 24-परगना के कलक्टर के आदेश (नार्थ बारासत) सं० L.A. VIII/49 41-42 के अन्तर्गत 1941-42 से, केन्द्रीय सरकार के और आगे आदेश होने तक के लिये अधिग्रहण कर लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने विनिश्चय किया है कि उक्त सम्पत्ति को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया जायेगा;

और यतः अचल सम्पत्ति अधिग्रहण एवं अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30वा) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने अर्थात श्री ए० भट्टाचार्य एम० ई० ओ० कलकत्ता सर्किल, ने उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी होने के नाते सर्वश्री/श्रीमति रीना विश्वास, शिखा दत्त, सुप्रिया दास तथा शम्भु नाथ डे को ऐसे व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट किया है जिसे उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिया जायेगा ।

और यतः उक्त श्रीमति रीना विश्वास, शिखा दत्त, सुप्रिया दास तथा श्री शम्भु नाथ डे को खोजा नहीं जा सका है और न उनका कोई ऐसा एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति है जो उनकी ओर से कब्जा लेने के लिये सशक्त हो,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, श्री ए० भट्टाचार्य, एम० ई० ओ० कलकत्ता सर्किल, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि उक्त सम्पत्ति को अधिग्रहण से मुक्त किया जाता है ।

अनुसूची

सी० एम० प्लाट नं०	एरिया (एकड़ में)
1538 पी०	0.16
1550 पी०	1.27

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 6th March, 1976

S.R.O. 163—Whereas the property specified in the schedule hereto annexed was requisitioned by the order of the Collector, 24-Parganas (North) Barasat No. LA VIII/49 of 41-42 with effect from 1941-42 until further order of the Central Government.

And whereas, the Central Government h the said property shall be released from requ

And whereas, in exercise of the powers conferred by Subsection (2) of section 6 of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act 1952 (No. XXX of 1952), I Shri A Bhattacharya, MEO, Calcutta Circle, Calcutta-27 being a competent authority under the said Act have specified Sharvashri/Shrimati Rina Biswa, Shikha Dutta, Supriya Das and Sambhu Nath Dey, as the person to who possession of the said property shall be given.

And whereas, the said Sharvashri/Shrimati Rina Biswas, Shikha Dutta, Supriya Das and Mr. Sambhu Nath Dey cannot be found and has no agent or other person empowered to accept delivery on hisbehalf.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Sec. (4) of section 6 of the said Act, I Shri A. Bhattacharya, MEO, Calcutta Circle do hereby declare that the said property is released from requisition.

SCHEDULE

C.S. Plot No.	Area in Acres
1538 P	0.16 ,,
1550 P	1.27, ,,

Mouza–Palta, P.O. Noapara, J.L. No.40, Distt. 24—Parganas

का० नि० आ० 164—यत इसमे उपाबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति का 24-परगना के कलक्टर (नार्थ बारासत) के आदेश स० LA. V III/19—41-42 के अन्तर्गत 1941-42 से, केन्द्रीय सरकार के और आगे आदेश होने तक के लिए अधिग्रहण कर लिया गया था,

और यत: केन्द्रीय सरकार ने विनिश्चय किया है कि उक्त सम्पत्ति को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया जाएगा;

और यत: अचल सम्पत्ति अधिग्रहण एव अर्जन अधिनियम, 1952 (1952 का 30 वा) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने अर्थात् श्री ए० भट्टाचार्य एम० ई० ओ० कलकत्ता सर्किल, ने उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी होने के नाते सर्व श्री टी० के० मडल, आर० के० मडल, एस० के० मडल, ए० के० मंडल तथा एन० के० मडल को ऐसे व्यक्ति के रूप मे निर्दिष्ट किया है जिसे उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिया जाएगा ।

और यत: उक्त सर्व श्री टी० के० मडल, आर० के० मंडल, एस० के० मंडल, ए० के० मडल तथा एन० के० मडल को खोजा नही जा सका है और न उनका कोई ऐसा एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति है जो उनकी ओर से कब्जा लेने के लिए सशक्त हो;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, मैं श्री ए० भट्टाचार्य, एम० ई० ओ० कलकत्ता सर्किल, एतद्द्वारा घोषित करता हू कि उक्त सम्पत्ति को अधिग्रहण से मुक्त किया जाता है ।

अनुसूची

सी०एस० प्लाट नं०	एरिया (एकड़ मे)
1551 पी०	0.74
1552 पी	0.29
1553	0.20
1554	0.37

S.R.O. 164.—Whereas the property specified in the schedule hereto annexed was requisitioned by the order of the Collector, 24-Parganas (North) Barasat No. LA VIII/49 of 41-42 with effect from 1941-42 until further order of the Central Government.

And whereas, the Central Government have decided that the said property shall be released from requisition;

And whereas, in exercise of the powers conferred by Subsection (2) of section 6 of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act 1952 (No. XXX of 1952), I Shri A Bhattacharya, MEO, Calcutta Circle, Calcutta-27 being a competent authority under the said Act have specified Sharvashri T. K. Mandal, R. K. Mandal, S K. Mandal, A. K. Mandal and N. K. Mandal as the person to whom possession of the said property shall be given.

And whereas, the said Sharvashri T. K. Mandal, R. K. Mandal, S. K. Mandal, A. K. Mandal and N. K. Mandal cannot be found and has no agent or other person empowered to accept delivery on hisbehalf.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Sec. (4) of section 6 of the said Act, I Shri A. Bhattacharya, MEO, Calcutta Circle do hereby declare that the said property is released from requisition.

SCHEDULE

C.S. Plot No.	Areas in Acres
1551 P	0.74 ,,
1552 P	0.29 ,,
1553	0.20 ,,
1554	0.37 ,,

Mouza—Palta, P.O. Noapara, J.L. No.4, Distt.24—Parganas

का० नि० आ० 165—यत: इससे उपाबद्ध अनुसूची मे निर्दिष्ट सम्पत्ति का 24-परगना के कलक्टर (नार्थ बारासत) के आदेश स० L.A. VIII/49—41-42 के अन्तर्गत 1941-42 से, केन्द्रीय सरकार के और आगे आदेश होने तक के लिए अधिग्रहण कर लिया गया था;

और यत: केन्द्रीय सरकार ने विनिश्चय किया है कि उक्त सम्पत्ति को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया जाएगा,

और यत अचल सम्पत्ति अधिग्रहण एव अर्जन अधिनियम 1952 (1952 का 30 वा) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, मैंने अर्थात् श्री ए० भट्टाचार्य एम० ई० ओ० कलकत्ता सर्किल, ने उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी होने के नाते चेयर मैन, नार्थ बेरकपुर मुनिसपेलिटी, 24-परगना को ऐसे व्यक्ति के रूप मे निर्दिष्ट किया है जिसे उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिया जाएगा।

और यत: उक्त चैयर मैन, नार्थ बेरकपुर म्युनिसिपेलिटी-24-परगना, को खोजा नही जा सका है और न उनका कोई ऐसा एजेन्ट अथवा अन्य व्यक्ति है जो उनकी ओर से कब्जा लेने के लिए सशक्त हो;

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं श्री ए० भट्टाचार्य एम० ई० ओ० कलकत्ता सर्किल, एतद्द्वारा घोषित करता ह कि उक्त सम्पत्ति को अधिग्रहण से मुक्त किया जाता है ।

अनुसूची

सी० एस० प्लाट नं०	एरिया (एकड मे)
1555	0.89

ए० भट्टाचार्य, मिलिट्री एस्टेट्स आफिसर

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of section 6 of the said Act, I Shri A Bhattacharya, MEO, Calcutta Circle do hereby declare that the said property is released from requisition.

SCHEDULE

C.S. Plot No.	Area in Acres
1555	0.89 ,,

Mouza—Palta, P.O. Noapara, J L. No. 4, Distt. 24—Parganas

A. BHATTACHARYA, Military Estates Officer

नई दिल्ली, 11 जून, 1976

का० नि० आ० 166.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री मस्तानियाश गुन्टू प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, के त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड दिल्ली की सदस्यता में एक रिक्ति हो गई है ।

[फाइल सं० 19/29/सी/एल एण्ड सी/65/1596-सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

New Delhi, the 11th June 1976

S.R.O. 166.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Delhi by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Shri M. Guntu, Magistrate 1st Class.

[File No. 19/29/C/L&C/65/1596-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 167—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रिय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री एस० एस० हरित प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, उस अधिनियम की धारा (3) (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली द्वारा, श्री मस्तानियरा गुन्टू प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिन्होंने त्याग पत्र दिया है के स्थान पर छावनी बोर्ड देहली के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किया गया है ।

[फाइल सं० 19/29/सी/एल एण्ड सी/65/1596-सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 167.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri S. S. Harit Magistrate Ist Class has been nominated as a member of the Cantonment Board, Delhi by the District Magistrate, Delhi in exercise of the powers conferred under section 13(3)(b) of that Act vice Shri M. Guntu Magistrate Ist Class resigned.

[File No. 19/29/C/L&C/65/1596-C/D(Q&C)]

नई दिल्ली, 16 जून, 1976

का० नि० आ० 168—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड फिरोजपुर की सदस्यता में ले० कर्नल० राम पाल सिंह के त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है ।

[फाइल सं० 19/9/सी/एल एण्ड सी/65/1653-सी/डी०/(क्यू एण्ड सी)]

New Delhi, the 16th June, 1976

S.R.O. 168.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Ferozepur by reason of the acceptance by the Central Government of resignation of Lt. Col Ram Pal Singh.

[File No. 19/9/C/L&C/65/1653-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 169—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ले० कर्नल एस० सी० सरदेशपान्डे को आफिसर कमाण्डिंग स्टेशन द्वारा ले० कर्नल० राम पाल सिंह के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड, फिरोजपुर के एक सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है ।

[फाइल सं० 19/9/सी/एल एण्ड सी/65/1653-सी-5/डी (क्यू एण्ड सी)]

एन० वी० स्वामिनाथन, अवर सचिव

S.R.O. 169.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col S. C. Sardeshpande has been nominated by Officer Commanding the Station as a member of Cantonment Board, Ferozepur vice Lt. Col Ram Pal Singh who has resigned.

[File No. 19/9/C/L&C/65/1653-C/D(Q&C)]

N. V. SWAMINATHAN, Under Secy.

IDD-14440

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1976.